

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 136/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दी राजपूताना महिला अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. शाखा गायत्री कालोनी, सांगानेर, जयपुर ।
प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती चिंता देवी पत्नी सुरेन्द्र चौहान
2. सुरेन्द्र चौहान पुत्र छबीला चौहान
3. ज्योति चौहान पुत्री सुरेन्द्र चौहान,
4. दीपक चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान
5. नितिन चौहान पुत्र श्री सुरेन्द्र चौहान
पता-प्लॉट नम्बर 20 विमान विहार, टोल टैक्स के पास, ग्राम गोविन्दपुरा, टोंक रोड, सांगानेर
जयपुर ।
6. रमाकान्त श्रीवास्तव पुत्र श्री नरसिंह लाल श्रीवास्तव
पता-हाउस नम्बर एस 80, श्योपुर कालोनी, रीको एरिया, जयपुर ।
7. राजकुमार वर्मा पुत्र रामशाई वर्मा
पता-139 पिकसिटी नगर, बरखेडा, टोंक रोड, जयपुर ।



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित:-

1. श्री अजय कुमार नटवाडिया अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक 22.04.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने दिनांक 19.04.2021 को अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती चिंता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र चौहान के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 20 विमान विहार, टोल टैक्स के पास, ग्राम गोविन्दपुरा, टोंक रोड, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 85.91 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 23,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

210
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. कार्यवाही एवं प्रस्तुत होने पर सर्व रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को नोट सूचित किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मूल्यांकन अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 23,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नव ब्याज कुल 24,03,862/- रुपये जमा करने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जवाब दिया गया है जिसका प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का नौकिल कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक सफ़्त पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती चिंता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र चौहान के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 20 विमान विहार, टॉल टैक्स के पास, ग्राम गोविन्दपुरा, टॉक रोड, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 85.91 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट निजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल पत्र हो।



आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर